न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

केम्प कोर्ट कापरड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 16/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सहीराम पुत्र श्री मांगीलाल 2. कंवराराम पुत्र श्री मांगीलाल 3. मदनलाल पुत्र श्री मांगीलाल 4. ओमप्रकाश पुत्र श्री मांगीलाल 5. गंगादेवी पत्नी श्री मांगीलाल जातियान विश्नोई, निवासीगण— रामनगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत नक्शे में तरमीम दुरूस्त करने हेतु

उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

आदेश **दिनांक 29.06.2017**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामनगर (कापरड़ा), तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 505 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 504 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 मी. रकबा 04 बीघा कुल खसरा पॉच कुल रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा की आयी हुई थी। उपरोक्त भूमि पर सेटलमेन्ट के पूर्व से प्रार्थी संख्या 1 से 4 के दादा दुदाराम पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर (कारपड़ा) का कब्जा व काश्त था। ग्राम रामनगर (कापरड़ा), तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 505 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 504 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 मी रकबा 04 बीघा कुल खसरा पॉच कुल रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुनः भूमि का एकीकरण किया गया। जिसके अनुसार ग्राम रामनगर (कापरड़ा), तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 505 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 504 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 507 मी. रकबा 04 बीघा, कुल खसरा पॉच कुल रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा को मिलाकर एक खसरा बनाया गया जो नवीन खसरा नम्बर 281 रकबा 33

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बीघा 17 बिस्वा कायम किया गया। ग्राम रामनगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा की भूमि पर कब्जा व काश्त प्रार्थी संख्या 1 से 4 के दादा दुदाराम जी का चला आ रहा था, प्रार्थी संख्या 1 से 4 के दादा दुदाराम जी के देहान्त के बाद उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा उनके विधिक उतराधिकारी प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता मांगीलाल व किशनाराम के नाम से दर्ज की गयी। प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता मांगीलाल व उनके भाई किशनाराम ने भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया जो बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता मांगीलाल के बंट में खसरा नम्बर 281 रकबा 17 बीघा भूमि रखी गयी। प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता मांगीलाल व उनके सगे भाई किशनाराम ने खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा मार्क ABCDEFGHIJ का मौके पर दो भाग के रूप में बंटवाड़ा कर लिया जो संलग्न नजरी नक्शा में मार्क सहित दर्शाया गया है। जो मार्क ABC की भूमि प्रार्थीगण के बंट व हिस्से में आयी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 17 बीघा का राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भूमि की तरमीम अलग कराने हेतु अभी एक माह पूर्व हल्का पटवारी के पास गये और खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का राजस्व नक्शा ट्रेस को प्राप्त किया तो प्रार्थीगण को जानकारी हुयी कि खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का सलंग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ABC के अनुसार राजस्व रेकर्ड के नक्शा ट्रेस में तरमीम किया हुआ नही है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 से 4 तथा उनके सगे काका किशनाराम की भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा का पुरा रकबा संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ABCDEFGHIJ की भूमि पर होता है। ग्राम रामनगर (कापरड़ा) की खसरा नम्बर 502, 505 506, 504, 507 मी. की भूमि का पुनः भूमि एकीकरण किया गया जिसका एक नवीन खसरा नम्बर 281 बनाया गया, जिसका रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा सलंग्न मार्क ABCDEFGHIJ पर पूरा होता है। ग्राम रामनगर (कापरड़ा) की खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507 मी. की भूमि का पुनः एकीकरण सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किया गया जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507 मी. का पुनः नया नक्शा जारी किया गया भूमि खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507 मी. का नया नक्शा खसरा नम्बर 281 का बनाया गया लेकिन राजस्व कर्मचारी की भूल से पुनः नक्शा जारी करते समय खसरा नम्बर 281 की तरमीम सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क ABC को नही किया है। मार्क ABC की भूमि को नक्शा में खाली होना बता दिया। जो एक सदभाविक लिपीकीय त्रुटि मालूम पड़ती है। जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। पक्षकारान मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण का मार्क ABC की भूमि पर सरकारी टांका निर्मित किया हुआ है। भूमि एकीकरण व

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पश्चात् पुनः जारी किया गया नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 502 रकबा 03 बीघा भूमि की तरमीम खसरा नम्बर 281 में करनी चाहिए थी लेकिन गलती से खसरा नम्बर 502 रकबा 03 बीघा भूमि की तरमीम को नवीन खसरा नम्बर 281 में अंकित नही किया है। लेकिन भविष्य में कभी भी विवाद हो सकता है। अतः इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 502 रकबा 03 बीघा भूमि का पुनः एकीकरण के पश्चात जारी किया गया नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अन्त में प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामनगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की खसरा 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में सलंग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ABCDEFGHIJ के अनुसार करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया गया नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 281 के पश्चिम दिशा की ओर अंकित तरमीम को हटायी जाकर संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ABCDEFGHIJ के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में भूमि तरमीम करने का आदेश फरमावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जो जवाब इस आधार का पेश किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 राजस्व रेकर्ड से सम्बंधित है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507मी. का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुनः भूमि का एकीकरण किया गया, जिसका नवीन खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा बनाया गया, जिसके सबूत के साथ में नक्शा ट्रेस वक्त बंदोबस्ती तथा खतौनी भूमि एकीकरण की नकल पेश है। पद संख्या 3 व 4 प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। पद संख्या 5 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507 मी. का भूमि एकीकरण के पश्चात् उसका नवीन खसरा नम्बर 281 जारी किया गया एवं उसका नक्शा भी जारी किया गया। जिसमें पुराने खसरा नम्बर 502 का नक्शे पर अंकन एकीकरण के पूर्व के समान ही किया गया जबकि खसरा नम्बर 502 का रकबा नये खसरा नम्बर 281 में दिया गया है। पद संख्या 6 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि भूमि एकीकरण के पश्चात् पुनः जारी किया गया नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा भूमि की तरमीम खसरा नम्बर 281 में अंकित नही करना मौके की वस्तुस्थिति नाप एवं सीमांकन के अनुसार ही सामने आयेगी और उसके बाद ही तरमीम नक्शा ट्रेस में की जा सकती है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उचित आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया ओर उपरोक्त अनवान के राजस्व प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया, अप्रार्थी की ओर से बहस सुनी गयी ओर उन्होने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार विदित होता है कि ग्राम रामनगर (कापरड़ा) की खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507 मी. की भूमि का पुनः एकीकरण सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किया गया जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507 मी. का पुनः नया नक्शा साथ में जारी किया गया जो भूमि खसरा नम्बर 502, 505, 506, 504, 507 मी. का नया खसरा नम्बर 281 का जारी किया गया लेकिन सहवान से या त्रुटिवश पुनः नया खसरा का नक्शा जारी करते समय खसरा नम्बर 281 की तरमीम पुराने खसरा नम्बर 502 की नही की गयी है। पुराने खसरा नम्बर 502 की भूमि को नक्शा में खाली होना स्पष्ट प्रतीत होता है। राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 502 की भूमि का पुनः एकीकरण के पश्चात् जारी किया गया नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामनगर (कापरड़ा) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा की राजस्व नक्शा ट्रेस में सलंग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. के अनुसार लाल स्याही से तरमीम दर्शायी जाने का तथा नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 281 के पश्चिम दिशा की ओर अंकित मार्क बी.सी. की लाईन (तरमीम) को हटायी जाकर संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे. के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। सलंग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
(हरिसिंह लम्बोरा)
एवं उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 29.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलाश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(हरिसिंह लम्बोरा)
एवं उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
बिलाड़ा